

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर आर.सी.टी 17 / 17

दांडिक प्रकरण क.-05 / 17

संस्थापित दिनांक-15.02.17

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01-हरिराम पुत्र रामसिंह रजक आयु 32 वर्ष 02-विष्णु पुत्र रामसिंह रजक आयु 25 वर्ष 03-फैलीराम पुत्र रामसिंह रजक आयु 22 वर्ष निवासीगण ग्राम सकवारा, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0	
	आरोपीगण
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 01.12.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 456,354,323/34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी हरिराम, फैलीराम को भादवि की धारा 323/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय आरोपी विष्णु के संबंध में भादवि की धारा 456,354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी क्रांतिबाई ने दिनांक 22.12.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 21.12.16 समय 11:00 बजे फरियादी के घर ग्राम सकवार चंदेरी में जब वह अपने घर पर सो रही थी तब आरोपी विष्णु आया और बुरी नियत से उसको पकड़ा। फरियादी के चिल्लाने पर आरोपी भाग गया और हरिराम व फैली भी आ गये तथा दोनों ने लात घूसों से मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 599/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 456,354,323/34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपी विष्णु के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 456,354 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 21.12.16 को समय 11:00 बजे फरियादी का घर ग्राम सकवारा चंदेरी पर सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात फरियादी क्रांतिबाई के निवासगृह में प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन गृह

2. अतिचार कारित किया ?

क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया क्रांतिबाई जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से छाती दबाकर व हाथ पकडकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशुद्ध एवं अंतर्वलित हैं। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 क्रांतिबाई की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 क्रांतिबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को आरोपीगण से उसका वाद विवाद हो गया था। धक्का मुक्की हो गई थी। उसकी रिपोर्ट प्र0पी01 उसने लेखवद्ध कराई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी विष्णु रात्रि में उसके घर के अंदर घुस आया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी ने उसे बुरी नियत से पकड़ा था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसने प्र0पी01 में घर में घुसने एवं बुरी नियत से पकड़ने वाली लिखाई थी। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी ने अपने कथनों में यह कहीं नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी फरियादी के घर में रात्रि में घुसा था। अभियोजन साक्षी ने यह भी नहीं बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी को बुरी नियत से पकड़ा।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी विष्णु को

भादवि की धारा 456,354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)